उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H-93364/सी–5/108/OA No.-57/2023 दिनांक 11/5/2023
पंजीकृत

From,
Chief Environmental Officer,
Uttar Pradesh Pollution Control Board,
Lucknow.

To,
The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi-110001

Sub: Regrading Joint Inspection report in compliance of Order dated 10.02.2023 in O.A. no. 57/2023 Shiv Pratap Singh V/s State of UP & Ors.

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 10.02.2023 on matter mentioned above, the Joint Inspection Reprot is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Enclosure: As above.

Your's Sincerely

(Dr. Ram Karan)
Chief Environmental Officer,
Circle-5

Copy to:

1. Member Secretary, UPPCB, Lucknow.
2. Shri Arvind Kumar, Advocate for UPPCB.
3. Law Officer-I, UPPCB, Lucknow.
4. Regional Officer, UPPCB, Raebareli.

Chief Environmental Officer,
Circle-5

क्षेत्रीय कार्यालय

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 131/MGT OA 57/2023/2023-24 दिनांक– 09/5/23

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5),
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–57/2023 शिव प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–10.02.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–57/2023 शिव प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–10.02.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़ द्वारा गठित संयुक्त कमेटी द्वारा ईंट भट्ठे मैसर्स संगम ब्रिक्स फील्ड (भवन मार्का), ग्राम–परवतपुर पूरे नगिया, तह0–सदर, जनपद–प्रतापगढ़ का संयुक्त निरीक्षण दिनांक–31.03.2023 व दिनांक–08.05.2023 को किया गया। संयुक्त कमेटी की जांच आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित किए हेतु संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है। कृपया अवगत हों कि प्रकरण में अगली सुनवाई तिथि दिनांक–16.05.2023 निर्धारित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
09/05/23

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मुख्यालयः "पर्यावरण भवन", टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
www.uppcb.com, E-mail- roraebareli@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
रायबरेली

मैसर्स संगम ब्रिक्स फील्ड (भवन मार्का), ग्राम–परवतपुर, पूरे नगिया, तह0–सदर, जनपद–प्रतापगढ़ के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–57/2023 शिव प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक–10.02.2023 को पारित आदेश के सन्दर्भ में संयुक्त कमेटी की जाँच आख्या।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–57/2023 शिव प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक–10.02.2023 जिसके सुसंगत अंश निम्नवत है–

"................ In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Pratapgarh and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. Factual and Action taken Report may be also submitted within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
6. List for further consideration on 16.05.2023..........."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़ द्वारा पत्र संख्या–907/एनजीटी ओ0ए0–57/2023/2022–23 दिनांक–01.03.2023 के माध्यम से मैसर्स संगम ब्रिक्स फील्ड, ग्राम–परवतपुर, पूरे नगिया, तह0–सदर, जनपद–प्रतापगढ़ की संयुक्त जांच हेतु निम्न सदस्यों की समिति का गठन किया गया।

1. उप जिलाधिकारी, सदर, प्रतापगढ़।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, प्रतापगढ़।
3. जिला खान अधिकारी, प्रतापगढ़।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।

उपरोक्त गठित संयुक्त कमेटी द्वारा ईंट भट्ठे मैसर्स संगम ब्रिक्स फील्ड, ग्राम–परवतपुर, पूरे नगिया, तह0–सदर, जनपद–प्रतापगढ़ का संयुक्त निरीक्षण दिनांक–31.03.2023 तथा दिनांक–08.05.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री रामबक्श तिवारी, मुंशी उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा स्वतः बन्द तथा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

(i) सन्दर्भित ईंट उद्योग प्रतापगढ़ शहर से लगभग 15 किमी0 दूर प्रतापगढ़–कुण्डा मार्ग पर स्थित सराय आनादेव से लगभग 4.0 किमी0 की दूरी पर स्थित ग्राम–परवतपुर में स्थापित है। ईंट भट्ठे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः 25.836581, 81.838640 है।

(ii) उपस्थित प्रतिनिधि के अनुसार ईंट भट्ठे की स्थापना वर्ष 2020–2021 में की गयी थी। ईंट भट्ठे की स्थापित क्षमता 22 पाया लगभग 25000 ईंट/दिन उत्पादन की है। ईंट भट्ठे में गैसीय उत्सर्जकों के निस्तारण हेतु भूतल से लगभग 115 फीट ऊँची चिमनी ID फैन से सम्बन्द्ध (जिगजैग) स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय चिमनी से सम्बद्ध आधी ट्रेन्च में ईंट भरी हुयी तथा शेष ट्रेन्च खाली पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 का जिला पंचायत लाइसेन्स शुल्क/हैसियत सम्पत्ति कर तथा खनन विभाग का विनियमन शुल्क जमा न होने की पुष्टि हुई।

(iii) माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश में दिए गए बिन्दुओं की जांच के क्रम में ईंट भट्ठा की चिमनी से पूरब दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम–परवतपुर की आबादी लगभग 30–40 घर (लगभग 150–200 व्यक्ति), पश्चिम दिशा में लगभग 1.0 किमी0 की दूरी पर ग्राम–रावतपुर की आबादी लगभग 30–35 घर (लगभग 150–200 व्यक्ति), उत्तर दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम–हसनपुर की आबादी लगभग 25–30 घर (लगभग 125–150 व्यक्ति) तथा दक्षिण दिशा में लगभग 400 मीटर पर ग्राम–पूरे नगिया की आबादी लगभग 30–40 घर (लगभग 150–200 व्यक्ति) स्थित है। ईंट भट्ठे के दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग 700 मीटर पर ग्राम–परवतपुर की आबादी लगभग 60–70 घर (लगभग 300–400 व्यक्ति) स्थित है। उक्त के अतिरिक्त ईंट भट्ठे के उत्तर दिशा में लगभग 100 मीटर पर, पूरब दिशा में लगभग 75 मीटर पर तथा पश्चिम दिशा में लगभग 180 मीटर पर अन्य भट्ठे स्थापित/संचालित पाये गये।

(iv) निरीक्षण के समय प्राप्त तथ्यों के अनुसार ईंट भट्ठा स्थल वर्तमान में प्रभावी उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 के अनुरूप नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को स्थापना/संचालन हेतु नियमानुसार अनापत्ति/सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं है।

(v) ईंट भट्ठे द्वारा स्थापना/संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त न किए जाने तथा संयुक्त निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे का संचालन स्वतः बन्द होने के दृष्टिगत बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच92319/सी–5/आर/ईंट–132/2021 दिनांक–20.04.2023 के माध्यम से ईंट उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत बन्दी निर्देश निर्गत किया गया है।

(vi) ईंट भट्ठे द्वारा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति/सहमति प्राप्त न किए जाने के क्रम में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्गत बन्दी निर्देश के अनुक्रम में

दिनांक–08.05.2023 को ईट उद्योग का पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ईंट भट्ठा पूर्व की भांति संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी निर्देशों के अनुपालन में बन्दी निर्देश की प्रति प्राप्त कराते हुए सक्षम विभागों की अनुमति प्राप्त किए बिना ईट उद्योग का संचालन किसी भी दशा में न किए जाने हेतु निर्देश दिया गया।

(vII) माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि ईट भट्ठे की स्थापना निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि के अनुसार वर्ष 2020–21 में की गयी थी। तत्समय ईट भट्ठे की स्थापना हेतु पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुसार ईंट भट्ठे की स्थापना किया जाना प्राविधानित था। ईंट भट्ठे के संयुक्त निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा स्थापना स्थल उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के प्राविधानों के अनुरूप नहीं पाया गया। वर्तमान में ईट भट्ठे के विरूद्ध राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से बन्दी निर्देश निर्गत है और ईंट भट्ठा स्वतः कारणों से संचालन में नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र संख्या–120/B-32/P/2023-24 दिनांक–01.05.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे को निर्गत बन्दी निर्देश के अनुपालन में ईट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में नहीं करने हेतु निर्देशित भी किया गया है।

(मनीष त्रिपाठी) 08/5/23 वैज्ञानिक सहायक उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली	(अरविन्द यादव) जिला खान अधिकारी प्रतापगढ़	8/5/2023 (पुनीत वर्मा) अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, प्रतापगढ़	08.05.23 (शैलेन्द्र कुमार वर्मा) उप जिलाधिकारी तह0–सदर, प्रतापगढ़

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़

संख्या– 907/ NGT OA 57/2023/2022-23 दिनांक– 01/03/23

–आदेश–

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–57/2023 शिव प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य मे मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक–10.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि ग्राम–परवतपुर, तह0–सदर, जनपद–प्रतापगढ मे संचालित मैसर्स संगम ब्रिक्स फील्ड से सम्बन्धित है। जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

"................ In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Pratapgarh and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. Factual and Action taken Report may be also submitted within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 16.05.2023..........."

तत्कम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2023 के अनुपालन में प्रश्नगत ईंट भट्ठे से सम्बन्धित प्रकरण की जॉच कराए जाने हेतु निम्नानुसार जांच समिति का गठन किया जाता है:–

1. उप जिलाधिकारी, सदर, प्रतापगढ़।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, प्रतापगढ़।
3. जिला खान अधिकारी, प्रतापगढ़।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।

उपरोक्तानुसार गठित जॉच समिति को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार ईंट भट्ठे का संयुक्त निरीक्षण कर आख्या एक सप्ताह में अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि कृत कार्यवाही से माननीय अधिकरण को ससमय अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

01/3/23

(नितिन बंसल)
जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, सदर, प्रतापगढ़।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, प्रतापगढ़।
3. जिला खान अधिकारी, प्रतापगढ़।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक : H 92319 /सी–5/ R/ईंट–132/2021 दिनांक 20/4/2023

सेवा में,

मैसर्स संगम ब्रिक फील्ड, (भवन मार्का),
ग्राम–पर्वतपुर, पूरे नगिया, ब्लॉक–मान्धाता, सदर,
प्रतापगढ़।

यह कि मैसर्स संगम ब्रिक फील्ड, (भवन मार्का), ग्राम–पर्वतपुर, पूरे नगिया, ब्लॉक–मान्धाता, सदर, प्रतापगढ़ जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रुप में मिट्टी, पानी, कोयले का प्रयोग कर ईट के उत्पादन के कार्य हेतु वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मैसर्स संगम ब्रिक फील्ड, (भवन मार्का), ग्राम–पर्वतपुर, पूरे नगिया, ब्लॉक–मान्धाता, सदर, प्रतापगढ़ का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 31.03.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ईंट भट्ठे की स्थापित क्षमता 22 पाया की है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया।

यह कि निरीक्षण आख्यानुसार उक्त ईंट भट्ठा वर्ष, 2020 में स्थापित किया गया है। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा जिग–जैग पाया गया, जिसमें आई0डी0 फैन के साथ फ्लू गैस उत्सर्जन हेतु भूतल से लगभग 120 फुट ऊंची चिमनी स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय ईंट उद्योग की स्थापना एवं संचालन से संबंधित किसी सक्षम विभाग का कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से नियमानुसार स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त नहीं किया गया है।

यह कि उक्त के दृष्टिगत ईंट उद्योग की स्थापना राज्य बोर्ड से नियमानुसार स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त नहीं किया गया है। तत्कम में क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के पत्रांक–02/बी–32/पी/2023–24, दिनांक 01.04.2023 द्वारा ईंट भट्ठे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत बन्दी निर्देश निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अंतर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में ईंट भट्ठे के विरुद्ध निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. यह कि मैसर्स संगम ब्रिक फील्ड, (भवन मार्का), ग्राम–पर्वतपुर, पूरे नगिया, ब्लॉक–मान्धाता, सदर, प्रतापगढ़ का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।

......2/–

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

2- यह कि मैसर्स संगम ब्रिक फील्ड, (भवन मार्का), ग्राम–पर्वतपुर, पूरे नगिया, ब्लॉक–मान्धाता, सदर, प्रतापगढ़ को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तुरन्त बन्द कर दिया जाए।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
2. पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मैसर्स संगम ब्रिक फील्ड, (भवन मार्का), ग्राम–पर्वतपुर, पूरे नगिया, ब्लॉक–मान्धाता, सदर, प्रतापगढ़ के उत्पादन/संचालन कार्य को बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विकास खण्ड, प्रतापगढ़ को उक्त ईंट भटठे का विद्युत विच्छेदन करने हेतु।
4. जिला खनन अधिकारी, प्रतापगढ़।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश का जिला प्रशासन से सामन्जस्य व समन्वय स्थापित करते हुए अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराये एवं आख्या प्रेषित करें तथा बन्दी सुनिश्चित करने के संबंध सतत् अनुश्रवण आख्या बोर्ड मुख्यालय में ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

8-5-23

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी,
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

ईट भट्ठे की बन्दी अनुपालन आख्या

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश सं0– H92319/सी-5/R/ईट-132/2021 दिनांक 20/4/2023 के अनुपालन में ईंट भट्ठा मै0 संगम ब्रिक फील्ड (भवन मार्का), ग्राम पर्वतपुर, पूरे नगिया ब्लाक मान्धाता, सदर, प्रतापगढ़ के संचालन को अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं की उपस्थिति में आज दिनांक 08/05/2023 को बन्द कराया जाता है निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बन्द पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि को बन्दी निर्देश की प्रति प्राप्त करा दी गई।

08/05/23
SA UPPCB

08/05/2023
K.A.
जिला पंचायत प्रतापगढ़

08/5/2023

08.05.23
SDM(S)

08/05/2023
MI
Pratapgarh

निर्देश प्राप्त किया
रामचन्द्र ...
मुंशी
08-5-23

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी–ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी
रायबरेली–229001 (उ0प्र0)

पत्रांक– 120/B-39/R/2022-24 दिनांक– 01/5/23

सेवा में,

मैसर्स संगम ब्रिक्स फील्ड (भवन मार्का),
प्रो0 श्री विनय सिंह,
ग्राम–परवतपुर, पूरे नगिया, तह0–सदर,
जनपद–प्रतापगढ़।

विषय–ईंट भट्ठे के विरूद्ध निर्गत बन्दी निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत हों कि ईंट भट्ठे के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–57/2023 शिव प्रताप सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक–10.02.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़ द्वारा गठित संयुक्त कमेटी द्वारा आपके ईंट भट्ठे की जांच दिनांक–31.03.2023 को की गयी। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को स्थापना पूर्व अनापत्ति तथा संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सहमति प्राप्त किए बिना ईंट भट्ठे की स्थापना/संचालन के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत ईंट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच92319/सी–5/आर/ईंट–132/2021 दिनांक–20.04.2023 के माध्यम से बन्दी निर्देश निर्गत किया गया है।

तत्क्रम में बन्दी निर्देश की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि बन्दी निर्देश के अनुपालन में ईंट भट्ठे का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें। बन्दी निर्देश जारी होने के पश्चात ईंट भट्ठे का संचालन पाये जाने पर ईंट भट्ठे के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी 01/05/23

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद–प्रतापगढ़।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. उप जिलाधिकारी, तह0–सदर, जनपद–प्रतापगढ़।

क्षेत्रीय अधिकारी 01/05/23

01/5/23

मुख्यालयः "पर्यावरण भवन", टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
www.uppcb.com, E-mail- roraebareli@uppcb.in

56
10
08/05/2023 12:17